



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 123/2017 धारा-363,366,376 भा०द०सं० व 04 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में माननीय न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुलेमान खां पुत्र सुभानी खां निवासी कण्डौर थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व ₹18,000 /- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
निरी० अशोक
कुमार सिंह



पैरोकार- थाना
कुरारा
का० संजीत कुमार